भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1506
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर गरीब छात्रों की प्रतिभा

1506. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर त्रिपुरा राज्य में स्कूल और कॉलेज स्तर पर गरीब छात्रों की छिपी प्रतिभा को विकसित करने के लिए कोई योजनाएं और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ निधियां प्रदान करने का है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, जिसमें अधिकांश स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दायरे में आते हैं। अपनी ओर से, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) और उनके स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के जनादेश के अनुरूप सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित

समूहों (एसईडीजी) से संबंधित प्रतिभाशाली छात्रों और छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा में उनके स्कूल छोड़ने को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए प्रति वर्ष कक्षा IX के चयनित छात्रों को एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं और कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण किया जाता है। इसमें छात्रवृत्ति की राशि 12000/- रुपये प्रति वर्ष है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ने आवंटित कोटा तय किया है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत त्रिपुरा राज्य को आवंटित पुरस्कारों की संख्या 351 है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान त्रिपुरा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या और इस योजना के अंतर्गत आंवटित, स्वीकृत और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**आंवटित निधि (रुपये करोड़ में)**	**वास्तविक व्यय (रुपये करोड़ में)**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**
1	2020-21	350.00	321.11	267503
2	2021-22	284.20	251.98	206794
3	2022-23	307.45	306.49	259524
4	2023-24	358.00	313.10	250089
5	2024-25	352.60	352.49	277760

इसके अतिरिक्त, नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है ताकि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को निशुल्क अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा सके। अब तक, त्रिपुरा राज्य में 8 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, समग्र शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि उनके द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) के मूल्यांकन और अनुमोदन के आधार पर उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवंटित की जाती हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान और सार्वभौमिक पहुंच का समर्थन करने तथा स्कूल शिक्षा में बनाए रखने के लिए इस योजना के तहत विभिन्न गतिविधियां उपलब्ध हैं। इसमें आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत प्रदान की गई सहायता शामिल है, जिसमें वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान त्रिपुरा राज्य के लिए 91.07 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय को अनुमोदित किया गया है, जो आसपास के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के प्रवेश के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में है। इसके अलावा, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) की पहचान किए गए ब्लॉकों (ईबीबी) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है, जहां 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत आवासीय स्कूल नहीं हैं। अब तक, त्रिपुरा राज्य में 15 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके तीन घटक: कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस), जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जेकेएल के लिए एसएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) हैं। इसके अलावा, दिनांक 6 नवंबर 2024 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना, पीएम विद्यालक्ष्मी का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। इस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को बिना किसी जमानत और गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है, जिन्हें शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता है और जो शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं तथा इसके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान करती है। कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज छूट प्राप्त

न करने वाले एक लाख तक नए छात्रों को यह ब्याज सहायता मिलेगी। एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in. विकसित किया गया है, जिस पर छात्र सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, त्रिपुरा राज्य सरकार राज्य में प्रतिभा विकास का सहयोग प्रदान करने के लिए योजनाएं भी कार्यान्वित करती है, जिसमें सुपर 30 परियोजना, उच्च शिक्षा की दिशा में उपलब्धि प्राप्त करने वालों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, एससीईआरटी प्रतिभा खोज परीक्षा, त्रिपुरा विज्ञान और गणित प्रतिभा खोज परीक्षा (कक्षा VI), त्रिपुरा विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा (कक्षा IX), त्रिपुरा गणित प्रतिभा खोज परीक्षा (कक्षा IX) और त्रिपुरा संस्कृत छात्रवृत्ति परीक्षा (कक्षा VIII) शामिल हैं।

******